राजस्थान सरकार

न्यायालय भू.अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेड़ा जिला — भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) दि. 30 मई 2018

— आदेश :—

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी दुर्गाशंकर व भू.अ.नि. रामलाल की रिपोर्ट तथा उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू— राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 221 के अनुसरण में ग्राम दुर्गाशंकर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2070-73 में खाता संख्या 213 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:—

| क्रम | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | दुर्गाशंकर | 213 | गोपाल | गोपी |

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
भू.अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
बनेड़ा जिला — भीलवाड़ा

क्रमांक 598/18 दिनांक 30/5/18

प्रतिलिपि :—

1. राजस्व रिकार्ड जाकर पालना किया— भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रोजनामचा पत्रावली

दिनांक ..... रिपोर्ट में अमल दरामद

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
भू.अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
बनेड़ा जिला — भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner